<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

सं.एफ.2(2)2018/एम सी/डीडीए/01 दिनांकः 02 जनवरी, 2018

विषयः- <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त।</u>

राजनिवास, दिल्ली में 21 दिसंबर, 2017 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त संलग्न है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो उसे 7 दिनों के भीतर प्रस्तावित करें।

(राजीव गाँधी)
आयुक्त एवं सचिव (कार्यालय)

संलग्नक - उपर्युक्त के अनुसार

<u>अध्यक्ष</u>

1. श्री अनिल बैजल
   उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

2. श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

3. श्री के विनायक राव,
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. श्री जयेश कुमार,
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
5. श्री मनोज कुमार
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
6. श्री बी.के.त्रिपाठी
   सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
7. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक एवं
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष

8. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
9. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
10. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
11. श्रीमती वीणा विरमानी
    निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
12. श्रीमती भावना मलिक
    निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>विशेष अतिथि</u>

1. श्री अंशु प्रकाश
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. श्री एस.एन. सहाय
   प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. श्रीमती रेणु शर्मा
   प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
4. डॉ. जी.नरेंद्र कुमार
   प्रधान सचिव (भूमि एंव भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5. श्री के.के.जोदर
   मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.
6. डॉ.पुनीत कुमार गोयल
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
7. डॉ. रणबीर सिंह
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
8. श्री मधुप व्यास
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
9. श्री राजीव वर्मा
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन एवं एल.पी.), दि.वि.प्रा.
10. श्री जे.पी.अग्रवाल
    प्रधान आयुक्त (आवास, प्रणाली एवं राष्ट्रमण्डल खेल), दि.वि.प्रा.
11. श्री श्रीपाल
    प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्यांकन एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः-

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव
2. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव
3. श्री आर.एन. शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव
4. श्री रवि धवन
   उपराज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव
5. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः-

मंत्री (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय), के निजी सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

राजनिवास, दिल्ली में अपराह्न 3.00 बजे 21 दिसंबर, 2017 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थेः-

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

1. श्री के. विनायक राव,
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. डॉ. महेश कुमार,
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री मनोज कुमार
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक एवं
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
7. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
8. श्रीमती वीना विरमानी
   निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
9. श्रीमती भावना मलिक
   निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>सचिव</u>

श्री डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशेष अतिथि</u>

1. श्री अंशु प्रकाश
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. श्रीमती रेणु शर्मा
   प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार
   प्रधान सचिव (भूमि एंव भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
4. श्री राजीव वर्मा
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन एवं एल.पी.), दि.वि.प्रा.
5. श्री पुनीत गोयल
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
6. श्री मधुप व्यास
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
7. डॉ. रणबीर सिंह
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
8. श्री जे. पी. अग्रवाल
   प्रधान आयुक्त (आवास, राष्ट्रमण्डल खेल, प्रणाली एवं प्रधान मंत्री आवास योजना), दि.वि.प्रा.
9. श्री श्रीपाल
   प्रमुख आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्यांकन एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

<u>उपराज्यपाल सचिवालय-</u>

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव
2. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव
3. श्री आर.एन. शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव
4. श्री रवि धवन
   उपराज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 67/2017

राज निवास में दिनांक 20.11.2017 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2 (2)2017/एम.सी./डी.डी.ए.

दिनांक 20.11.2017 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में मद सं. 55/2017 को छोड़कर यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। जो "ब्लॉक बीजी, बीएच और बीजे शालीमार बाग के जे.जे. क्लस्टरों के पुनर्वासन" के संबंध में है, जिसकी प्रधान सचिव शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बताई गई फ्लैटों की कीमत के संबंध में सी.ई.ओ., दि.वि.प्रा. के डीयूएसआईबी को दिनांक 19.12.2017 को भेजे गए पत्र के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच की जानी है।

मद सं. 68/2017

योजना जोन-डी में आने वाले न्यू मोती बाग आवासीय परिसर, नई दिल्ली में कौशल भवन के निर्माण हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.), भारत सरकार को आबंटित 0.55 हैक्ट. (1.354 एकड़) माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'वाणिज्यिक' से 'सरकारी (जी-2)' में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(10)2016/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने हेतु तत्काल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 69/2017

योजना जोन-डी में आने वाले प्लॉट सं.16-ए, अकबर रोड, नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग कार्यालय (डी.जी.एस एंड डी/आपूर्ति) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्माण हेतु 1.775 हैक्ट. (4.388 एकड़) माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पी.एस. 1)' से 'सरकारी (जी 2)' में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(04)2008/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस मामले को अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को तत्काल भेजा जाए।

<u>मद सं. 70/2017</u>

जोन-एफ में बाह्य रिंग रोड और भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग के ट्राई जंक्शन में आस्था कुंज के पास "ओखला एन.एस.आई.सी. मेट्रो स्टेशन" हेतु डी.एम.आर.सी. द्वारा अधिगृहीत तीन पॉकेटों की भूमि के लिए 9132.35 वर्ग मी. (लगभग) माप की भूमि के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' (पी-2-जिला उद्यान) से 'परिवहन' (टी 2) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(11)2016-एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस मामले को अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को तत्काल भेजा जाए।

<u>मद सं. 71/2017</u>

योजना जोन-एफ में गोविंद पुरी में 4240 वर्ग मी.(लगभग) माप की दि.वि.प्रा. भूमि के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक' सुविधाओं (पी.एस.1-पुलिस स्टेशन) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(04)/2017-एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस मामले को अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को तत्काल भेजा जाए।

<u>मद सं. 72/2017</u>

योजना जोन-एफ में दि.वि.प्रा. द्वारा एस.डी.एम.सी. को आबंटित तेखंड ओखला स्थित 61.546 एकड़ (24.91 हैक्टे.) माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग को (i) 'आवासीय' (32.245 एकड़); (ii) 'व्यावसायिक, आवासीय एवं मनोरंजनात्मक' (15.101 एकड़) और (iii) 'व्यावसायिक (गोदाम एवं डिपो) एवं मनोरंजनात्मक' (14.20 एकड़) से 'उपयोग (यू-4)' में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.3(60)2005-एम.पी./पी.टी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस तत्काल जारी किए जाए।

<u>मद सं. 73/2017</u>

विकासकर्ता संस्था अर्थात् मैसर्स डी.एल.एफ. होम डेवलपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड से स्वतंत्र भारत मिल, शिवाजी मार्ग में 772 ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के फ्लैट और 4192 वर्ग मी. के पार्किंग स्थल (जो पहली बेसमेंट में 131 ई.सी.एस. के बराबर है) की खरीद।

एफ.2(07)2017/ई.डब्ल्यू.एस./जनता/डी.डी.ए./पार्ट1

विस्तृत चर्चा के बाद एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 74/2017</u>

मेट्स हेतु चयन ग्रेड प्रदान करना।

एफ.7(01)2003/पी एण्ड सी (पी)/पार्ट।V

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 75/2017</u>

दि.मु.यो.-2021 के अध्याय -19 (भूमि नीति) में संशोधन।

एफ.3(53)2003-एम.पी./वॉल्यू.II/पार्ट III

विस्तृत चर्चा के पश्चात्, एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जा सकती है। निम्नलिखित टिप्पणियां विचारार्थ की गईः-

i) एक स्वतंत्र भूमि पूलिंग अपीलीय प्राधिकरण के गठन की बजाय जिसके लिए डी.डी.एक्ट,1957 में संशोधन की आवश्यकता होगी, इस उद्देश्य हेतु एक असंगति समिति का गठन किया जा सकता है।
ii) लैंड पूलिंग नीति को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाए।

<u>मद सं. 76/2017</u>

लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत नरेला सब सिटी (जोन पी-I) में अधिग्रहित भूमि के विकास को अनुमति देना।

एफ.25(1)2014 - एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को डी.डी.एक्ट,1957 की धारा12 (ए) के अंतर्गत विकास क्षेत्र तथा डी.एम.सी.एक्ट, 1957 की धारा 507 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के रूप में इन क्षेत्रों को घोषित करने हेतु जी.एन.सी.टी.डी. को तुरंत भेजा जा सकता है।

<u>मद सं. 77/2017</u>

भूमि नीति के प्रचालन हेतु अनुमोदित विनियमों में संशोधन।

एफ.15(6)2012 - एम.पी./पार्ट॥

यह सूचित किया गया कि पैरा ।V में टंकण त्रुटि थी। एजेंडा मद की संस्तुति "पैरा ।V में समाविष्ट प्रस्ताव" को "पैरा ।।। में समाविष्ट प्रस्ताव" के रूप में पढ़ा जाए।

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। 30 दिनों की अवधि हेतु टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जा सकती है।

<u>मद सं. 78/2017</u>

निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने हेतु प्रारूप नीति।

एफ.3(33) /2012/एम.पी./पार्ट ॥

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गयाः-

पैरा 2.1.4 में पंक्ति के भाग यानी "लैंड पार्सल जिन्हें दि.मु.यो. के अनुसार 'मनोरंजनात्मक' भूमि उपयोग सौंपा गया....." को "लेआउट प्लान में लैंड पार्सल को मनोरंजनात्मक उपयोग सौंपा गया" के साथ बदला गया।

इस मामले को विचार और अनुमोदन हेतु तत्काल रूप से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

<u>मद सं.79/2017</u>

निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने हेतु मसौदा विनियम।

एफ.15(12)2017/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गयाः-

पैरा 3.1.4 में पंक्ति के भाग यानी "लैंड पार्सल जिन्हें दि.मु.यो. के अनुसार 'मनोरंजनात्मक' भूमि उपयोग सौंपा गया....." को "लेआउट प्लान में लैंड पार्सल को मनोरंजनात्मक उपयोग सौंपा गया" के साथ बदला गया।

30 दिन की अवधि हेतु सभी हितधारकों के विचारों को आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस को तत्काल रुप से जारी किया जाए।

<u>मद सं.80/2017</u>

मयूर विहार, चिल्ला गाँव, नई दिल्ली में टाइप-II से टाइप-V की श्रेणी के लगभग 500 आवासीय फ्लैटों के निर्माण हेतु दि.मु.यो.-2021 के उप. खंड 8(2) के अंतर्गत सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएँ (पी.एस.) उपयोग जोन से समूह आवास की अनुमति।

फाइल सं. एफ.3(9)2017/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस मामले को ले-आउट योजना में शामिल करने हेतु तत्काल रूप से पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भेजा जाए।

<u>प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मामले:-</u>

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने निम्नलिखित मामलें उठाए:

क) दि.वि.प्रा. ने गुरू तेग बहादुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नियमितीकरण के लिए लगभग 34 करोड़ रुपये की वसूली की मांग जारी की है। चूंकि शैक्षिक संस्थान इतने बड़े हर्जाने का भुगतान नहीं कर सकता है, दि.वि.प्रा. इस मामले पर सहानुभूति-पूर्वक विचार कर सकता है और प्राधिकरण की अगली बैठक में अपने विचार रख सकता है।

ख) रोहिणी में सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र के विकास कार्य को शीघ्र निपटाया जाए।

ग) पार्कों में दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित शौचालयों का उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है और दि.वि.प्रा. को इस संबंध में एक विधिवत् नीति बनानी चाहिए।

घ) मुबारकपुर डबास में दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले में बैठक के दौरान श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा एक अभ्यावेदन सौंपा गया।

ङ) दि.वि.प्रा. को अपनी ई-शासन परियोजना के लिए समय-सीमा बतानी चाहिए।

च) दि.वि.प्रा. मार्किट्स में एफ.ए.आर. में वृद्धि के मामले पर, यह निण्रय लिया गया। चूंकि दि.वि.प्रा. मार्किट्स में पहले से ही बहुत भीड़-भाड़ है, जब तक पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध नहीं करा दी जाती है, तब तक अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

2. श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित मामलें उठाए:

क) दि.वि.प्रा. को अपनी भूमि पर रह रहें उन झुग्गी निवासियों की संख्या का उचित आकलन करना चाहिए जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है और पुनर्वास योजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिए।

ख) दि.वि.प्रा. अपनी भूमि को ठीक ढ़ग से संरक्षित नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे शहर में अव्यवस्थित अनधिकृत इमारतें बन चुकी हैं। दि.वि.प्रा. को शहर के विकास हेतु समयबद्ध ढ़ग से अपनी नीतियाँ कार्यान्वित करनी चाहिए।

ग) दि.वि.प्रा. के सभी मार्किट्स खराब स्थिति में हैं और वहाँ शौचालयों तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है।

घ) मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित दि.वि.प्रा. सड़क पर उचित प्रकाश व्यवस्था कराने की आवश्यकता है।

ङ) मदर इंटरनेश्नल स्कूल की बसें स्कूल-समय के दौरान सर्वोदय एन्क्लेव की ओर जाने वाली सड़क को पूरी तरह से बाधित कर देती हैं।

च) दि.वि.प्रा. के डीयर पार्क की चाहरदीवारी के एक छोर से दूसरे छोर तक अनधिकृत दुकानों और रेस्टोरेंट्स द्वारा विभिन्न प्रकार से अतिक्रमण किया गया है।

छ) उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र का भी विकास किया जाना चाहिए। श्री ओ.पी.शर्मा द्वारा भी यही मामला उठाया गया।

ज) उन्होंने दि.वि.प्रा. के कुछ पार्कों में लगाए गए ओपन जिम उपकरण के नए मॉडलों की प्रशंसा की और यह सुझाव दिया कि दि.वि.प्रा. के अन्य सभी पार्कों में भी ऐसे उपकरण लगाए जाएं। यही मामला श्री ओ.पी.शर्मा. द्वारा भी उठाया गया।

झ) दि.वि.प्रा. ने हौज खास गाँव के खसरा सं. 277 से संबंधित चार (4) विक्रय विलेखों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी है।

3. श्री ओ.पी. शर्मा ने निम्नलिखित मामलों को उठाया:

क) क्रॉस रिवर मॉल में शराब की कई दुकानें हैं। मॉल का गेट तोड़ दिया गया है और लोगों ने उस क्षेत्र में अनतिधकृत दुकानें खोली हुई हैं।

ख) दि.वि.प्रा. द्वारा जिन स्कूलों को भूमि आबंटित की गई है उन्हें अपनी बसों के लिए पृथक प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं चंकि इन बसों से स्कूलों के निकट यातायात में भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

ग) गीता कॉलोनी में स्नेह इंटरनेशनल स्कूल का एक प्रवेश द्वार पी.डब्ल्यू.डी. रोड पर बनया गया है, जिसके कारण स्कूल-समय के दौरान इर रोड़ पर यातायात बाधित होता है। स्कूल की इमारत के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त नहीं किए गए थे।

घ) परमानंद चैरिटेबल अस्पताल, जिसका पट्टा समाप्त हो चुका हे, ने अपनी इमारत में कई अनधिकृत मंजिलों का निर्माण कर लिया है।

ङ) उनके निर्वाचन क्षेत्र में दि.वि.प्रा. की कई छोटी-छोटी सड़कों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। हालांकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर विश्वास नगर स्थित दि.वि.प्रा. मार्केट का संयुक्त निरीक्षण किया गया दि.वि.प्रा. ने अभी तक डेफिश्यिंसी प्रभार अदा नहीं किए हैं और मार्केट का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

4. श्री एस.के.बग्गा ने निम्नलिखित मामला उठाया:

क) गीता कॉलोनी के निकट स्थित रानी गार्डन की दि.वि.प्रा. भूमि को अतिक्रमण से संरक्षित किया जाए। हालांकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में दि.वि.प्रा. के कई प्लॉट अतिक्रमण मुक्त हैं और अदालत के कोई स्थगन-आदेश भी नहीं हैं, दि.वि.प्रा. अपने इच्छित उद्देश्य के लिए इनका विकास नहीं कर रहा है।

5. श्रीमती वीना विरमानी ने निम्नलिखित मामलों को उठाया:

क) स्वतंत्र भारत मिल्स में विकसित किए गए हरित क्षेत्र को जनता द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख) रमेश नगर और मोती नगर क्षेत्रों में स्थित दि.वि.प्रा. के कई प्लॉट पुनर्वास उद्देश्य हेतु उपलब्ध हैं जिनकी उचित रूप से फेंसिग की जानी चाहिए। बैठक के दौरान इन भूमि की एक सूची भी सौंपी गई।

ग) कीर्ति नगर स्थित अस्थायी दि.वि.प्रा. कार्यालय को स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इसके इच्छित उद्देश्य हेतु इस भूमि को विकसित किया जाए।

घ) ईदगाह स्थित भूमि, जिसे पहले कसाई खाने के लिए आबंटित किया गया था, पर पार्किंग के निर्माण की अनुमति दी जाए।

ङ) दि.वि.प्रा. को झंडेवाला मंदिर प्रबंधन द्वारा इसके निकटवर्ती पार्क को गोद लेने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

च) सदर बाजार स्थित क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के मामले की जाँच की जाए।

6. श्रीमती भावना मलिक ने निम्नलिखित मामलों को उठाया:

क) द्वारका में दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में उन लोगों को वैकल्पिक प्लॉट आबंटित करने का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए इन सभी मामलों को दि.वि.प्रा. के संबंधित कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाएगी और इनकी स्थिति रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इसकी अगली बैठक में प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकें योजनाबद्ध होती है, प्राधिकरण की बैठकों में प्रत्येक सदस्य द्वारा एजेंडा से बाहर दो से अधिक मदों को न उठाया जाए।

इसके अतिरिक्त, सभी सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार निम्नलिखित बातों पर भी सहमति दी गई:

i. प्रत्येक एजेंडा मद में शामिल मामलों का सारांश तैयार किया जाना चाहिए।

ii. प्राधिकरण की बैठक के एजेंडे को कम से कम 7 दिन पहले ही परिचालित किया जाना चाहिए।

माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली ने सभी सदस्यों, विशेष अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्ति किया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****